आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
02/05/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 149 / 2012** **सुशीला उराईन बनाम् पाण्डू पाहन** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन एस0 ए0 आर0 अपील संख्या–100-R15/2005-06 में उपायुक्त, राँची द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उपायुक्त द्वारा भूमि वापसी वाद संख्या–364 / 2003–04 में पारित भूमि वापसी के आदेश को सम्पुष्ट किया गया था। इस वाद में खाता नम्बर–313, मौजा–हुण्डरू, प्लॉट नम्बर–305, रकबा–0.76 एकड़ का विषय सन्निहित है। प्रश्नगत् वाद को सुनवाई हेतु दिनांक–19.01.2015 को अंगीकृत किया गया। दिनांक–01.02.2016 को मूल आवेदक के मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसों को प्रतिस्थापित किया गया। उक्त तिथि के बाद ही आवेदक एवं विपक्षी न्यायालय से लगातार अनुपस्थित है। पक्षकारों को दिनांक–17.01.2022, 28.03.2022, 18.04.2022, 28.04.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु लगातार मौका दिया गया, किन्तु कोई भी पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अंततः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया। पुनरीक्षण आवेदन में आवेदकों के द्वारा उक्त भूमि पर उनके "Vertual Physical Possession" कई दशकों से 1925 से होने का दावा किया गया है। मुख्य प्रश्न यह है कि आवेदक प्रश्नगत् भूमि के वास्तविक दखल में थे अथवा Virtual दखल में जैसा कि उनके द्वारा उल्लेखित किया गया है। आवेदकों का यह भी दावा है कि विपक्षियों द्वारा खतियान में अथवा अन्य अभिलेखों में छेड़–छाड़ करते हुये गलत वंशावली प्रस्तुत की गयी, जिसके आधार पर आदेश पारित किये गये हैं। आवेदक उक्त भूमि पर कई वर्षों से मकान बनाकर रहते हैं तथा उन्हें नगर निगम से रसीद भी प्राप्त है। इस प्रकार उन्हें अवैध दखलकार के रूप में प्रश्नगत् भूमि पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। विपक्षियों को खतियानी रैयत से कोई सरोकार नहीं है। प्रश्नगत् भूमि भूईंहारी वकास्त पहनाई भूमि है, जिसका हस्तांतरण नहीं	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई के बारे में तारीख साथ

किया जा सकता। अपने आवेदन में सभी स्थानों पर आवेदक द्वारा "Vertual Possession" का ही उल्लेख किया गया है।

अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक–07.06.2012 को आदेश पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण 06 माह के बाद दायर किया गया था। प्रश्नगत् वाद में भूईंहारी भूमि मंगरा उरांव @ मंगरा पाहन के नाम से दर्ज है। आवेदक उक्त भूमि पर दखलकार है, किन्तु प्रश्नगत् दखल का आधार स्पष्ट नहीं है। उपायुक्त न्यायालय द्वारा आवेदक के अपील को दिनांक–15.12.2010 को उनके अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया था, जिसके पश्चात् उनके अनुरोध पर पुनः सुनवाई करते हुये अंतिम आदेश पारित किया गया। प्रश्नगत् भूमि मंगरा पाहन वल्द लिटिया पाहन के नाम से वकास्त भूईंहारी पहनाईं दर्ज है। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा गवाहों के परीक्षण एवं अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया कि मंगरा पाहन भूईंहारदार एवं आवेदकों के पिता–मंगरा के नामों की समानता का फायदा उठाते हुये प्रश्नगत् भूमि पर दखल किया गया है। लिटिया उरांव एवं सोमरा उरांव एक ही व्यक्ति होने के संबंध में अपीलार्थियों के तरफ से दावे किये जा रहे है, किन्तु ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है, जिससे कि इसकी पुष्टि हो सके। मंगरा उरांव व मंगरा पाहन दो अलग–अलग व्यक्तियों के नाम है। मंगरा उरांव के पिता–सोमरा उरांव तथा मंगरा पाहन के पिता–लिटिया पाहन है। स्पष्टतः सोमरा उरांव एवं लिटिया पाहन एक ही व्यक्ति नहीं माने जा सकते। वर्णित परिस्थिति में निम्न न्यायालयों द्वारा गवाहों के परीक्षण के बाद स्थापित निष्कर्षों के विपरीत आदेश पारित करने का कोई आधार नहीं है। आवेदकों को इस वाद के निष्पादन में कोई अभिरूचि भी नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है, आदेश की एक प्रति उपायुक्त, राँची को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित

प्रमण्डलीय आयुक्त

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.22 17:05:40 +05:30
Location: 192.168.1.10

प्रमण्डलीय आयुक्त